न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : ………/18

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019 निर्णय दिनांक : 10.04.2019

राजस्थान सरकार बनाम लोकेश दत्तक पुत्र रामेश्वरलाल जोधा, भीवा पुत्र केशा जाति मेघवाल नि0 पांचवा

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोकेश दत्तक पुत्र रामेश्वरलाल जोधा भीवा पुत्र केशा जाति मेघवाल निवासी पांचव ने ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 332 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर में से रकबा 0.12 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमीयों को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गयें। अप्रार्थीगण कि ओर से पीथाराम उपस्थित हुआ तथा कोई जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब एवं कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने जानबूझकर गै. मु. गौचर भूमि पर अतिकमण किया है ।

अप्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है अप्रार्थीगण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 332 कुल रकबा 0.12 हैक्टेयर गै. मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.12

तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर

हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.60 का पच्चास गुणा से राशि 30/– अक्षरे तीस रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
तहसीलदार,कुचामन सिटी
जिला नागौर–राज0

तहसीलदार कुचामन
जिला– नागौर

माँग कायमी रा.ले.स.-4
पृष्ठ संख्या 38
वर्ष 20-21
रा.जुर्माना –
क.निलामी –
गोचर जुर्माना 30
प्रा.पैदावार –
तरालं कुचामन सिटी